

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मा नं० 201/2023

तारीख रजू :- 19-9-2023

12431/23

दावा बाबत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
दरोगा पुत्र किशन जाति माली निवासी अग्रसेन कॉलोनी बरगमा रोडा हिण्डौन जिला
करौली राजस्थान

--वादी

बनाम

सोहन सिंह पुत्र भौरीलाल वगै० जाति माली निवासी बंधवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

--प्रतिवादीगण-15

दिनांक	फर्द अहकाम
19-9-23	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.10.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
10/10/23	<p>पत्रावली प्राप्त मिला तलवी के ज्ञान प्राप्त पर पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित। वादी व वादी वकील ने अवगत करा कि वादी व वादी वकील प्रकरण नोटिस में शामिल करना चाहते हैं। बरगमा व 20/2023 द्वारा दरोगा वनाम सोहन सिंह नोटिस में शामिल किया जाता है। पत्रावली केसल द्वारा रजिस्टर के कमर्ची।</p> <p style="text-align: right;">दरोगा परमानंद उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>